सड़क किनारे विकसित होंगी सुविधाएं

पथ निर्माण विभाग ने पॉलिसी के ड्राफ्ट को दिया अंतिम रूप, प्रत्येक पचीस किमी पर सुविधाओं का होगा इंतजाम

राज्य ब्यूरो, पटना : सड़कों के किनारे सुविधाएं विकसित किए जाने को ले पथ निर्माण विभाग ने पॉलिसी तैयार की है। पॉलिसी ड्राफ्ट को बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (बीएसआरडीसी) ने अंतिम रूप दे दिया है।

इस तरह की सुविधाएं कराई जाएगी उपलब्ध

पॉलिसी के तहत सड़कों के किनारे शौचालय, पीने का पानी, मल्टी यूटिलिटी शॉप, स्नानागार, ड्राइवरों के लिए आराम करने की जगह व रेस्टोरेंट विकसित करने की बात है। इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त पार्किंग की जगह भी उपलब्ध करायी जाएगी। प्रत्येक पचीस किमी पर इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

इन मॉडलों की सहायता से विकसित होंगी सुविधाएं

सुविधाएं विकसित किए जाने को ले पॉलिसी का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसके तहत यह व्यवस्था की गयी है कि इन्हें पीपीपी मॉडल और ईपीसी मॉडल

के आधार पर विकसित किया जाए। पीपीपी मॉडल के तहत निजी क्षेत्र की कंपनी या फिर निजी स्तर किसी व्यक्ति को जिम्मेवारी दी जा सकेगी। जिम्मेवारी लेने वाले सुविधाओं को विकसित करने, उसके संचालन तथा रख-रखाव का काम संभालेंगे। यह व्यवस्था संबंधित फर्म या व्यक्ति को पांच से दस वर्ष के लिए दी सकेगी।

सुविधा विकसित करने के लिए पथ निर्माण विभाग स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड पर उपयुक्त जगह उपलब्ध कराएगा। ईपीसी मॉडल के तहत पथ निर्माण विभाग सड़क के किनारे सुविधाएं विकसित करेगा। इसे निजी क्षेत्र के फर्म को स्थानांतरित किया जा सकेगा। इसके लिए निर्माण की ऑपरेशनल और मेंटिनेंस कॉस्ट ली जा सकेगी।

स्थान चयन के लिए ली जाएगी एजेंसी की मदद

सड़क के किनारे सुविधाएं किन-किन जगहों पर विकसित की जाए इसके लिए पथ निर्माण विभाग विशेषज्ञ एजेंसी की मदद लेगा। निविदा के माध्यम से विशेषज्ञ कंपनी का चयन किया जाएगा।